

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-10/2021- 1664 व०प०, राँची, दिनांक- 14.06.2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003।

विषय :- एन०टी०पी०सी० लिमिटेड के पकरीबरवाडीह कोल खनन् उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-715 दिनांक-16.06.2021 एवं पत्रांक-933 दिनांक-04.08.2021 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध चिन्हित दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर क्षेत्रीय वन पदाधिकारियों के Consultation में Site Specific Wildlife Management Plan का सूत्रण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (5) विषयक प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा वन संरक्षक द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (6) वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (7) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

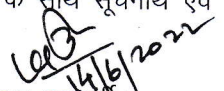

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-10/2021- 1664

व०प०, राँची, दिनांक- 14.06.2022

प्रतिलिपि-उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-10/2021- 1664

व०प०, राँची, दिनांक- 14.06.2022

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/अपर महाप्रबंधक (खनन्), पकरीबरवाडीह कोयला खनन् परियोजना, NTPC Sikri, PO-Barkagaon, हजारीबाग, झारखण्ड-825311 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

PART – V

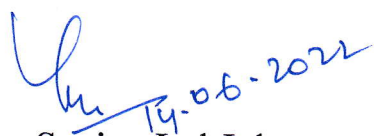
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 331.198 ha of Forest Land in favour of NTPC Ltd. for Pakri Barwadih North-West Quarry (PB-A) Coal Block under Hazaribagh West Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 331.198 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 1664 dated-...14.06.2022...


Rajdeep Sanjay Lal John

Joint Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

संयुक्त सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची
(Official Seal)

Date:

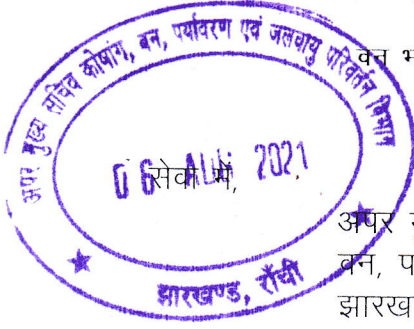
Place: Ranchi

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-cccf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 933

राँची, दिनांक- 04/8/2021



अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

विषय :-

एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड के पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

1. इस कार्यालय का पत्रांक 715 दिनांक 16.06.2021
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 996 दिनांक 02.07.2021

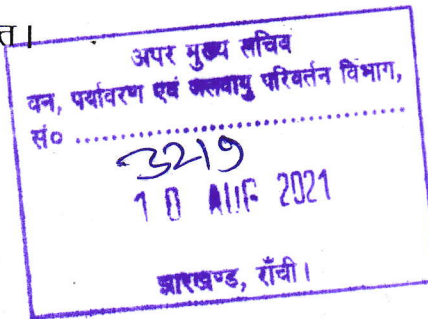
महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र-1 के कंडिका-35 के क्रम में एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड के पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 996 दिनांक 02.07.2021 (छयाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत् मंतव्य दिया गया है :-

"प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा project cost पर क्षेत्रीय वन पदाधिकारियों के consultation में Site Specific Wildlife Management Plan का सूत्रण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा।"

अनुरोध है कि विषयगत अपयोजन प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

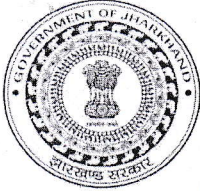
अनु0:-यथोक्त।



विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

3-8



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

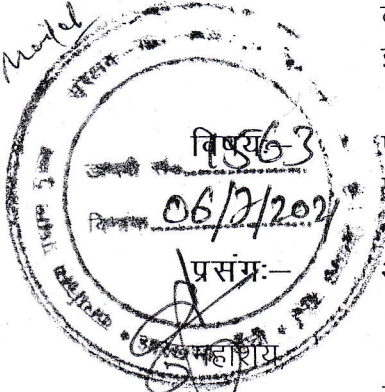


नितीश कुमार
सेवा में,

पत्रांक 996

दिनांक 02/07/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।



एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड के पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी
परियोजना हेतु 331.198 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

आपका ज्ञापांक 715 दिनांक 16.06.2021

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विषयगत प्रस्ताव में क्षेत्रीय
पदाधिकारियों द्वारा अंकित मंतव्य के आलोक में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत है:-

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा project cost पर क्षेत्रीय वन पदाधिकारियों के
consultation में Site Specific Wildlife Management Plan का सूत्रण एवं कार्यान्वयन
सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

(Signature)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची।

27/06 27/06